अपील सूचना अधिकार संख्या 06/2019 (RCMS 2019/0008) श्री गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र श्री धनकरण राठौड़ जाति राजपूत उम्र 60 साल निवासी 79 हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर (मो.नं. 98293–10313) बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

16.10.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार, अनूपगढ से सूचना प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.10.2018 को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के न्यायालय में आवेदन किया था। अपने आवेदन पत्र द्वारा अपीलार्थी ने सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 06 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी को तहसीलदार, अनूपगढ़ से वांछित सूचना दिलवाई जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गोविन्दकरण राठौड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2018 के द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

संलग्न फोटो प्रति नामान्तरण संख्या 25 दिनांक 14.12.1959 अनूपगढ तहसीलदार द्वारा भरा गया :

1. उपरोक्त नामान्तरण की फोटो प्रति दें।
2. उपरोक्त नामान्तरण की उस समय की जमाबन्दी दे।
3. उपरोक्त नामान्तरण किस आधार पर भरा गया, इनसे सम्बन्धित दस्तावेज प्रदान करें।
4. जागरीदार–रोजड़ी के पास वक्त जागीर रिज्यूम कितनी भूमि थी?
5. उपरोक्त नामान्तरण के भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है?
6. खसरा नम्बर 14, 19, 49, एवं 53 के वर्तमान खसरा नं.एवं जमाबन्दियां 2008 से 204 तक की प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीदार, अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./19/234 दिनांक 29.01.2018 की प्रति अपीलार्थी भिजवाते हुए निम्नानुसार जवाब दिया है :

उक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री गोविन्दकरण पुत्र धनकरण जाति राजपूत साकिन 79 हनुवन्त–बी, बी.जे.एम. नगर जोधपुर ने इस कार्यालय में सूचना का अधिकार के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 29.10.2018 अंकित थी। (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।) उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित गांव रोजड़ी (चक 13 आर.जे.डी.) पूर्व में तहसील अनूपगढ़ का हिस्सा था जो कालान्तर में सन् 1987 में अनूपगढ तहसील से दो अन्य तहसीलें क्रमशः श्री विजयनगर एवं घड़साना अस्तीत्व में आने से यह गांव रोजड़ी (चक 13 अर.जे.डी.) तहसील घड़साना के क्षेत्राधिकार में चला गया एवं तद्नुसार तत्समय रिकॉर्ड का भी क्षेत्राधिकार अनुसार आदान प्रदान हो गया था। इस प्रकार से गांव रोजड़ी (चक 13 आर.जे.डी.) ना तो इस इस तहसील क्षेत्राधिकार में है और ना ही उस गांव/चक का कोई रिकॉर्ड इस तहसील कार्यालय में है। इसलिए नियमानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2018/3010 दिनांक 13.11.2019 के द्वारा (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है) अग्रिम कार्यवाही के लिए तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को प्रेषित कर दिया गया था एवं प्रतिलिपि क्रमांक सम/3011/दिनांक 13.11.2018 को प्रार्थी को जरिये डाक अंकित पते पर प्रेषित कर दी गई थी।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा अंकित इंतकाल संख्या 24 दिनांक 14.12.1959 का है, जिस पर तहसील अनूपगढ़ अंकित है, क्योंकि उस समय गांव रोजडी की तहसील अनूपगढ की थी, जो कि सन् 1987 में तहसील घड़साना हो गई है। उक्त इंतकाल पर तहसील अनूपगढ लिखा होने से संभवतया अपीलार्थी भ्रमित हो गया एवं रूष्ठ होकर अपील प्रस्तुत की जाना प्रतीत होती है, जो कि काबिल खारिज है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
अनूपगढ़(राज.)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और **प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से तहसीलदार, अनूपगढ** द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेख उनके पास उपलब्ध हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करवाई जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार, अनूपगढ़/घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि ाल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर